संख्या-824/2017/1999/22-2-2017-17(112)/2011

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 17 अक्टूबर, 2017***

विषय: केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सूरे पुत्र श्री छन्नू, निवासी जनपद-वाराणसी की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-25389/पो0अनु0-(2)-182/सलाहकार समिति/ (एम0 22.06.2017) दिनांक-14.08.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सूरे पुत्र श्री छन्नू जो ग्राम-कंन्ता डाड़ी, थाना-रोहनिया, जनपद-वाराणसी का रहने वाला है। बन्दी ने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर दिनांक 18/19-03-1993 को रात्रि लगभग 01:00 बजे विजय शंकर के घर में डकैती डाली। डकैती के दौरान लूटपाट में चाकू लगने से चंद्रिका की मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-17/1993 में भा0द0वि0 की धारा-396 के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, भदोही-ज्ञानपुर के आदेश दिनांक 24.12.1996 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 28.02.2017 तक 23 वर्ष 10 माह 13 दिन की अपरिहार सजा तथा 27 वर्ष 11 माह 16 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट एवं सम्बन्धित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति की गयी है लेकिन सलाहकार समिति में यह उल्लेख करते हुए कि बन्दी द्वारा 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर रात्रि लगभग 01:00 बजे विजय शंकर के घर में डकैती के दौरान लूटपाट कर 01 व्यक्तिकी हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी की मानसिक एवं शारीरिक स्थिति संतोषजनक है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के वारे में विपरीत संदेश जायेगा। अत: बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एवं धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी सूरे पुत्र श्री छन्नू को रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- अतः उक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बन्दी सूरे (बन्दी संख्या-40236) पुत्र श्री छन्नू, निवासी जनपद-वाराणसी की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एवं धारा 432 द0प्र0स0 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-824/2017/1999/(1)/22-2-2017 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।